Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 133: Order of the Authority

- (1) The Authority shall, within a period of ¹[six] months from the date of the receipt of the report from the ²[Director General of Anti-profiteering] determine whether a registered person has passed on the benefit of reduction in rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
- (2) An opportunity of hearing shall be granted to the interested parties by the Authority where any request is received in writing from such interested parties.
- ³[(2A) The Authority may seek the clarification, if any, from the Director General of Anti Profiteering on the report submitted under sub-rule (6) of Rule 129 during the process of determination under sub-rule (1).]
- ⁴[(3) Where the Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of the reduction in the rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, the Authority may order-
 - (a) reduction in prices;
 - (b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not

¹ Substituted for "three" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

² Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

³ Sub-rule (2A) inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

⁴ Sub-rule (3) substituted by Noti. No. 26/2018–Central Tax, dt. 13-06-2018 w.e.f. 13-06-2018. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;(3) Where the Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of the reduction in the rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, the Authority may order-

⁽a) reduction in prices;

⁽b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen per cent. from the date of collection of the higher amount till the date of the return of such amount or recovery of the amount including interest not returned, as the case may be, in case the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable, and depositing the same in the Fund referred to in section 57;

⁽c) imposition of penalty as specified under the Act; and

⁽d) cancellation of registration under the Act."

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen per cent. from the date of collection of the higher amount till the date of the return of such amount or recovery of the amount including interest not returned, as the case may be;

- (c) the deposit of an amount equivalent to fifty per cent. of the amount determined under the above clause ⁵[along with interest at the rate of eighteen per cent. from the date of collection of the higher amount till the date of deposit of such amount] in the Fund constituted under section 57 and the remaining fifty per cent. of the amount in the Fund constituted under section 57 of the Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State, where the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable;
- (d) imposition of penalty as specified under the Act; and
- (e) cancellation of registration under the Act.

Explanation- For the purpose of this sub-rule, the expression, "concerned State" means the State ⁶[or Union Territory] in respect of which the Authority passes an order.]

- ⁷[(4) If the report of the ⁸[Director General of Anti-profiteering] referred to in sub-rule (6) of rule 129 recommends that there is contravention or even non-contravention of the provisions of section 171 or these rules, but the Authority is of the opinion that further investigation or inquiry is called for in the matter, it may, for reasons to be recorded in writing, refer the matter to the ⁹[Director General of Anti-profiteering] to cause further investigation or inquiry in accordance with the provisions of the Act and these rules.]
- ¹⁰[(5) (a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), where upon receipt of the report of the Director General of Anti-profiteering referred to in sub-rule (6) of rule 129, the Authority has reasons to

⁵ Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

⁶ Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

⁷ Sub-rule (4) inserted by Noti. No. 14/2018–Central Tax, dt. 23-03-2018 w.e.f. 23-03-2018.

⁸ Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

⁹ Substituted for "Director General of Safeguards" Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018 w.e.f. 12-06-2018.

¹⁰ Sub-rule (5) inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

believe that there has been contravention of the provisions of section 171 in respect of goods or services or both other than those covered in the said report, it may, for reasons to be recorded in writing, within the time limit specified in sub-rule (1), direct the Director General of Anti-profiteering to cause investigation or inquiry with regard to such other goods or services or both, in accordance with the provisions of the Act and these rules.

(b) The investigation or enquiry under clause (a) shall be deemed to be a new investigation or enquiry and all the provisions of Rule 129 shall *mutatis mutandis* apply to such investigation or enquiry.]

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 133 : प्राधिकरण का आदेश

- (1) प्राधिकरण, ¹[मुनाफाखोरी—रोधी महानिदेशालय] से रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से ²[छह] मास की अविध के भीतर अवधारित करेगा कि क्या रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुचाएँ हैं।
- (2) जहां ऐसे हितबद्ध पक्षकारों से लिखित में कोई प्रार्थना प्राप्त होती है, प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सुनने का एक अवसर प्रदान करेगा।
- ³[(2क) प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन अवधारणा प्रक्रिया के दौरान नियम 129 के उपनियम (6) के अधीन मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक से प्रस्तुत रिपोर्ट पर यदि कोई हो, स्पष्टीकरण मांग सकेगा।
- ⁴[(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, प्राप्तिकर्ता को माल और सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, कीमत में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दिया था, वहां प्राधिकरण,—
 - (क) कीमतों में कमी करने;

1 अधिसूचना क्रमांक 29 / 2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा ''रक्षोपाय महानिदेशालय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।

- (क) मूल्यों में कटौती का आदेश कर सकेगा;
- (ख) प्राप्तिकर्ता को, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत् की दर पर ब्याज सहित, वापिस करने का आदेश दे सकेगा; या

उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापिस की रकम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है, खंड (ख) के अधीन वापिस नहीं की गई रकम की वसूली का आदेश दे सकेगा और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप करेगा।

- (ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति का अधिरोपण; और
- (घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द "तीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

³ अधिसूचना क्रमांक 31/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा उपनियम (२क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 26/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा उप—नियम (3) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.06.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व इस प्रकार था :

[&]quot;(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय को मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता नहीं पहुंचाया है, प्राधिकरण :—

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ख) प्राप्तिकर्ता को, उच्चतर रकम के संग्रहण की तारीख से, यथास्थिति, ऐसी रकम की वापसी या ब्याज सहित वापस न की गई रकम की वसूली की तारीख तक, अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दी गई रकम के समतुल्य रकम को वापस करने;
- (ग) जहां पात्र व्यक्ति ने रकम की वापसी का दावा नहीं किया है या उसकी पहचान नहीं हुई है, वहां, उपरोक्त खंड के अधीन अवधारित रकम के पचास प्रतिशत ⁵[उच्चतर धनराशि के संग्रहण की तारीख से ऐसी धनराशि के जमा करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ] के समतुल्य रकम को, धारा 57 के अधीन गठित निधि में और रकम का शेष पचास प्रतिशत संबद्ध राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 57 के अधीन गठित निधि में जमा करने:
- (घ) अधिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अधिरोपण; और
- (ड.) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण, का आदेश कर सकेगा।

स्पष्टीकरण — इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "संबद्ध राज्य" ⁶[या संघ राज्यक्षेत्र] पद से ऐसा राज्य अभिप्रेत है, जिसके संबंध में प्राधिकरण ने आदेश पारित किया है।

- ⁷[(4) यदि नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट ⁸[मुनाफाखोरी—रोधी महानिदेशक] की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि धारा 171 के उपबंधों का या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन न होने की दशा में भी यदि प्राधिकरण की यह राय है कि मामले में और अन्वेषण किया जाना चाहिए या जांच की जानी चाहिए, तो वह मामले को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ⁹[मुनाफाखोरी—रोधी महानिदेशक] को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार और अन्वेषण या जांच करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।
- ¹⁰[(5)(क) उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 171 के उपबंधों का, माल या सेवा

⁵ अधिसूचना क्रमांक 31/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 31/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

⁷ अधिसूचना क्रमांक 14/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा उप—नियम (4) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2018)।

⁸ अधिसूचना क्रमांक 29/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा शब्द ''रक्षोपाय महानिदेशक'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)

⁹ अधिसूचना क्रमांक 29/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा शब्द ''रक्षोपाय महानिदेशक'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)

¹⁰ अधिसूचना क्रमांक 31/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा उप—िनयम (5) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

या दोनों के संबंध में उन के सिवाय, जो उक्त रिपोर्ट में आच्छादित किए गए है, उल्लंघन किया गया है, प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य माल या सेवाओं या दोनों के संबद्ध अन्वेषण या जांच कराने के लिए उक्त नियम 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक को निदेश दे सकेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन अन्वेषण या जांच नई अन्वेषण या जांच समझी जाएगी और नियम 129 के सभी उपबंधों ऐसे अन्वेषण या जांच पर यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।